State Council of Educational
Research & Training Chhattisgarh,
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रं./शिक्षक-शिक्षा/बी.एड. ऑनलाइन आबंटन/2020 3043 रायपुर दिनांक 15-12-2020

**बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों एवं
बी.एड. पाठ्यक्रम 2020 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी
के लिए विशेष सूचना**

NCTE विनियम 2014 के परिशिष्ट 4 में उल्लेखित कंड़िका 3.2(क) अनुसार सामान्य विषयों में स्नातक जैसे बी.ए., बी.काम. व बी.एस.सी. उपाधिधारी अभ्यर्थी को बी.एड. के पात्रता के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है जबकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक जैसे B.E., B.Tech, B.Arch, BAMS इत्यादि उपाधिधारी को न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है। इस विनियम के अनुसार परिषद् द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट निर्धारण करते समय सामान्य पाठ्यक्रमों में स्नातकधरी अभ्यर्थियों से स्नातक के प्राप्तांक में अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्राप्तांक का जोड़ा गया है ताकि मेरिट गणना के लिए सामान्य पाठ्यक्रमों में स्नातक उपाधिधारी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उपाधिधारी के प्राप्तांक एक समान किया जा सके। इस कारण विभिन्न महाविद्यालयो में आबंटित सामान्य विषयों में स्नातक धारियों के प्राप्तांक अभ्यर्थी के वास्तविक प्राप्तांक से 5 प्रतिशत अधिक दिखा रहे होंगे। अर्थात यदि अभ्यर्थी के बी.ए. में 55 प्रतिशत प्राप्तांक है तो मेरिट में 60 प्रतिशत प्राप्तांक दिखा रहा होगा।

अतः महाविद्यालय आबंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय आबंटित अभ्यर्थियों के स्नातक के प्राप्तांक का सत्यापन अभ्यर्थी के वास्तविक प्राप्तांक के आधार पर या मेरिट में अंकित प्राप्तांक में 5 प्रतिशत घटाकर करें और यदि 5 प्रतिशत घटाकर गणना करने पर भी यदि प्राप्तांक में अंतर आ रहा है तो अभ्यर्थी को प्रवेश न दें।

(डॉ. योगेश शिवहरे)
अतिरिक्त संचालक,
SCERT, रायपुर

Scanned by CamScanner